भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 146

(जिसका उत्तर सोमवार, 25 नवंबर, 2024/4 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है)

फेमा विनियमों में संशोधन

146. श्री कौशलेन्द्र कुमारः

श्री दिनेश चंद्र यादव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 5 करोड़ रुपये तक के विदेशी मुद्रा उल्लंघन के मामलों को जुर्माना भरकर बंद करने की अनुमति देने के लिए फेमा नियमों में संशोधन किया है;

(ख) उक्त संशोधन से कितने लोगों को लाभ होने की संभावना है; और

(ग) क्या उक्त संशोधन चल रहे मामलों पर भी लागू होंगे और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(**क) और (ख):** विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 **(**फेमा) की धारा 15 (1) में प्रावधान किया गया है कि उक्त अधिनियम के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के मामले में**,** ऐसा उल्लंघन करने वाले व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर**,** केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (डीओई) के अधिकारियों द्वारा शमन किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने इन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए**,** विदेशी मुद्रा (शमन कार्यवाही) नियम, 2000 जारी किए थे**,** जिन्हें दिनांक 12 सितंबर, 2024 को अधिसूचित विदेशी मुद्रा (शमन कार्यवाही) नियम, 2024 द्वारा अधिक्रमित किया गया था। इन नियमों में इस प्रकार की शमन की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है और आरबीआई तथा डीओई में विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों को उक्त उल्लंघन में शामिल राशि के अनुसार शमन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(ग): विदेशी मुद्रा (शमन कार्यवाही) नियम, 2024 शुरू होने की तारीख को शमन प्राधिकरण के समक्ष लंबित कोई भी शमन आवेदन विदेशी मुद्रा (शमन कार्यवाही) नियम, 2000 के प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

****